

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 542]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2019—पौष 10, शक 1941

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2019

क्र. एफ-ए-3-40-2018-1-पांच(95).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20, सन, 2002) की धारा 20 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-40-2018-1-पांच (90), दिनांक 29 नवम्बर, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में अंक एवं शब्द “31 दिसम्बर, 2019” के स्थान पर अंक एवं शब्द “31 जनवरी, 2020” प्रतिस्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2019

क्र. एफ-ए-3-40-2018-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-40-2018-1-पांच (95), दिनांक 31 दिसम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 31st December 2019

No. F-A-3-40-2018-1-V(95).—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 20 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following amendment in this department's notification No. F-A-3-40-2018-1-V(90), dated 29th November, 2019, namely:—

AMENDMENT

In the said notification, for the word and figure “31st December, 2019”, the word and figure “31st January, 2020” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.

1083